न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 36/12 (धारा 75 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2012/00006)

1. गीतादेवी पत्नी भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी पपरेरा तहसील कुम्हेर ।
2. हरी पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

घनश्याम पुत्र श्री चौवाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 28.12.2011 (29.04.2011) प्रकरण संख्या एलआर /11/271 उनवान गीतादेवी बनाम घनश्याम बाबत प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 10.06.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 28.12.2011 (29.04.2011) वसिलसिले प्रार्थना पत्र घनश्याम दास पुत्र चौवाराम जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर बाबत मुताबिक डिक्री व फैसला न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किये जाने के संबंध में जारी किये गये आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पो0 घनश्याम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2011 तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम फरीकेन में आराजी खसरा नम्बर हाल 2153 रकबा 8 ऐयर व 2156 रकबा 0.25 वाकै कस्बा नदबई द्वितीय के बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर में दावा चल रहा था, जिसमें दिनांक 01.03.2011 को इस आशय का राजीनामा पेश हो गया था कि उपरोक्त खसरा नम्बरान में होकर वादिनी गीतादेवी वगैरह अपने खसरा नम्बर 2159 के लिये जाने हेतु प्रतिवादी घनश्यामदास वगैराह को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपरोक्त खसरा नम्बरान को दीगर जगह कोई भी पक्षकार रहन वय मुन्तकिल नहीं करेगा। चूंकि उपरोक्त राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री होकर फैसल हो चुका है, लेकिन उपरोक्त राजीनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खसरा नम्बरान में होकर रास्ता कायम होना जरूरी है। इसलिऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बरान में

10.6.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

होकर रास्ता कायम करने एवं नक्शे में तरमीम करते हुये पटवारी हल्का को रास्ता कायम करने हेतु आदेश दिया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय दावा की नकल व डिक्री व राजीनामा की छाया प्रति भी संलग्न की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ने कार्यवाही करते इसकी पुस्त पर आदेश कमांक एलआर/11/702 दिनांक 29.04.2011 पृष्ठांकित करते हुये इस आशय के साथ पटवारी हल्का नदबई को लिखा गया कि ....." मूल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति मय निर्णय डिक्री सिविल न्यायालय भरतपुर निर्णय दिनांक 01.03.2011, राजीनामा की फोटो प्रति, प्रेषित कर लेख है कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को ध्यान में रखते हुये मौके पर यदि रास्ता है एवं उभयपक्ष सहमत है तो नियमानुसार. रास्ता की तरमीम की जाकर पालना 20 योम में पेश करें। तदोपरान्त तहसीलदार नदबई द्वारा पुनः पटवारी हल्का नदबई को पत्रांक एलआर/11/2711 दिनांक 28.12.2011 से पूर्व आदेश दिनांक 29.04.2011 का हवाला देते हुये रिमाईन्डर जारी करते हुये लिखा गया कि अब यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन ना हो तो पूर्व पत्रानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी किये गये पत्र दिनांक 28.12.2011 (29.04.2011) के विरूद्ध प्रथम अपील अंतर्गत 75 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार नदबई की ओर से रैस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश दिनांक 29.04.2011 व इसके बाद पुनः लिखे गये पत्र दिनांक 28.12.2011 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत ही दिये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर तहसीलदार नदबई के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 2153 व 2156 वाकै कस्बा नदबई के संबध में नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अपर सिविल न्यायाधीश व0ख0 संख्या 4 भरतपुर के डिक्री व राजीनामा दिनांक 01.03.2011 प्रकरण संख्या 20/09 के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान में तरमीम कर अलग से रास्ता कायम करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2011 व 28.12.2011 को जारी किया है, जो कि गलत है, क्योंकि जब सिविल न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया तो इस आदेश के दीगर तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। सिविल न्यायालय की ओर से पारित निर्णय व डिक्री तथा उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा में उक्त खसरा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नम्बरान में तरमीम कर निश्चत लम्बाई चौडाई का कोई नया रास्ता कायम करने बाबत कोइ निर्देश नहीं है और न ही कथित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2011 की रैस्पोडेन्ट से कोई इजराय भी सक्षम न्यायालय में पेश की गई है। अदालत मातहत में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटी की है। सिविल न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित हुई है। इस निर्णय के संबंध में विवेचना किये जाने या अलग से कोई अर्थ लगाने का अदालत मातहत को कोई अधिकार नहीं है, वरन् निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार पालना की जानी थी। राजीनामें से हटकर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। उभयपक्षकारान की ओर से सिविल न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 2153 व 2156 में होकर रास्ता है व रास्ता रहेगा। सिविल न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध में तरमीम किये जाने के बारे में कोई निर्देश अदालत मातहत को नहीं दिये हैं। इसके बाबजूद भी अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का को अपीलाधीन आदेश जारी किये हैं, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा खसरा नंबर 2153 व 2156 की मौके की जो स्थिति है, वह यथावत बनी रहनी चाहिए। यदि उक्त खसरा नम्बरों में कोई तरमीम की जाती है तो निश्चय ही उक्त खसरा नम्बरों की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आयेगा, जो कि सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया और न ही सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर ही दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा भी दिनांक 06.09.2011 को अदालत मातहत में इस आशय की रिपोर्ट की गई थी कि विवादित खसरा नम्बरान में किसी तरमीम की आवश्यकता नहीं है तथा पटवारी हल्का के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिनांक 28.12.2011 को नये सिरे से आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। चूंकि अदालत मातहत की ओर से पूर्व में जारी पत्र दिनांक 29.04.2011 के बाद दिनांक 28.12.2011 को नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए पूर्व का आदेश दिनांक 29.04.2011 दिनांक 28.12.2011 को जारी आदेश में सम्मिलित होने के कारण दोनों आदेशों का उल्लेख करते हुये अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकारिता के आधार पर ही अदालत हाजा में मैन्टनेबल नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में तहसीलदार नदबई की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। तहसीलदार की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के

10.6.2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहत प्रथम अपील जिला कलक्टर के न्यायालय में होगी। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। द्वितीय तहसीलदार नदबई द्वारा जो आदेश दिया गया है, वह आदेश राजीनामा में पारित डिक्री की अनुपालना में दिया गया है। राजीनामा व डिक्री के प्रभाव में रहते हुये तरमीम को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की मियाद 30 दिवस होती है। अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील 30 दिवस के बाद पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने बाबत किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार नदबई के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्ण परीक्षण करने के बाद सिविल न्यायालय की ओर से पारित किये गये निर्णय व डिक्री की पालना में पटवारी हल्का को पत्र कमांक 2711 दिनांक 28.12.2011 जारी किया हैं जिसमें यह उल्लेख किया है कि वाद संख्या 20/09 में सिविल न्यायाधीश भरतपुर की ओर से पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार तरमीम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना प्रस्तुत नहीं की गई है, अब यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो पूर्व पत्रानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सिविल न्यायाधीश भरतपुर की ओर से पारित आदेश में दिये गये निर्णय की पालना में तरमीम की कार्यवाही की जानी है। तहसीलदार की ओर से अलग से किसी प्रकार की कोई तरमीम किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 जो कि पूर्व में जारी किये गये पत्र दिनांक 29.04.2011 की निरन्तरता में लिखा गया है, को यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति इस स्तर पर इसलिए मैन्टनेबल नहीं हैं, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत है। जहां तक अपील मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील पेश की जा सकती है। ऐसे आदेश पर मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (एफ) के तहत अदालत हाजा में प्रथम अपील किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त आदेश भू अभिलेख अधिकारी

10.6.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की हैसियत से किया गया है। इसके अलावा भी विवादास्पद आदेश की अपील अदालत हाजा में ही मैन्टनेबल है। चूंकि तहसीलदार की ओर से पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है, क्योंकि उक्त आदेश सिविल न्यायालय की ओर से पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के विपरित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार नदबई के द्वारा पटवारी हल्का को लिखे गये पत्र दिनांक 28.12.2011 (29.04.2011) के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 21.02.2012 को अपील पेश की गई है। उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अदालत हाजा में मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुये दर्ज रजिस्टर की गई है।, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि वकील अपीलान्ट ने मौखिक बहस में यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार नदबई की ओर से पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण से अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये होने के कारण ऐसे आदेश पर मियाद संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं, परन्तु वकील अपीलान्ट की उक्त मत से हम सहमत नहीं है, क्योंकि यदि कोई आदेश अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है तो भी मीमो आफ अपील में ऐसे आदेश की जानकारी होने की दिनांक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया जाना आवश्यक है, जो कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश किये जाने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में उक्त अपील लगभग एक माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि विलम्ब के प्रत्येक दिन का पर्याप्त व उचित कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, जो कि अपीलान्ट की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण मैन्टनेबल नहीं है।

परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के समय तहसीलदार नदबई की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.12.2011 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नंबर 2153 व 2156 के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण पर विचार किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। रैस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार नदबई के कार्यालय में दिनांक 29.03.2011 को मुताबिक डिक्री व फैसला न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार नदबई द्वारा पटवारी हल्का नदबई को प्रेषित कर यह निर्देश

10.6.2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिये गये कि निर्णय व डिक्री सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 4 भरतपुर निर्णय दिनांक 01.03.2011, राजीनामा की फोटोप्रति प्रेषित कर लेख है कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को ध्यान में रखते हुये मौके पर यदि रास्ता है एवं उभयपक्ष सहमत हैं तो नियमानुसार रास्ता की तरमीम की जाकर पालना से अवगत करायें। इसके बाद पुनः पत्र दिनांक 28.12.2011 में पूर्व के पत्र दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशों का उल्लेख करते हुये पुनः लिखा गया कि यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो पूर्व पत्रानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार की ओर से जारी किये गये उपरोक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उक्त पत्र एल.आर.एक्ट की किसी धारा के तहत जारी नहीं कर सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड भरतपुर की ओर से पारित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में लिखा गया है। फिर भी अपीलान्ट यदि उपरोक्त आदेश एल.आर.एक्ट के तहत मानते हैं तो उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) के तहत जिला कलक्टर को किये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार भू प्रबन्ध अथवा भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध जिला कलक्टर को अपील किये जाने का प्रावधान किया गया। इसलिए उपरोक्त प्रावधान के तहत क्षेत्राधिकारिता के आधार पर भी अपील अदालत हाजा में मैन्टनेबल नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने व अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर